बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–20/02/2026

संचिका संख्या–03/आ01–69/2023.I/368312/श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के ज्ञापांक–197 दिनांक–15.05.2023 एवं आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–4544 दिनांक–24.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशक, प्रशासन के स्तर पर श्री अश्विनी कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन करते हुए विभागीय पत्रांक–593 दिनांक 26.09.2023 द्वारा लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोप निम्नवत हैं :–

1. श्री कुमार द्वारा मो0 सुल्तान अहमद (एक ही व्यक्ति) को दो जगह काम करते हुए दिखाये जाने की जानकारी रहने के बावजूद अनियमितता/अवैध रूप से 15,90,349/– ₹ का भुगतान किया जाना।
2. श्री कुमार द्वारा उपर्युक्त कंडिका–1 में. वर्णित अनियमितता के संबंध में जिला पदाधिकारी के पत्रांक–586/गो. दिनांक 15.04.2023 एवं पत्रांक–785/गो. दिनांक 13.05.2023 के तहत श्री मोदी द्वारा की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितता तथा मो. सुलतान अहमद, सेवानिवृत शिक्षक को दोहरी भुगतान के मामले में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु दिये गये निदेश के बावजूद जान–बुझकर दोनों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाना।
3. श्री कुमार द्वारा उक्त मामले को दबाने हेतु शिक्षा विभाग, जमुई के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाना।
4. श्री कुमार द्वारा वरीय कोषागार पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–558 दिनांक–01.12.2021 के तहत मो. सुलतान अहमद के संबंध में दोहरी भुगतान हेतु अवगत कराने के बावजूद ससमय कार्रवाई नहीं किया जाना।
5. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल कृत्य किया जाना।

2. श्री कुमार से प्राप्त बचाव अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प संख्या–100697 दिनांक– 01.01.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3. श्री कुमार के दिनांक–31.01.2024 को वार्द्धक्य सेवानिवृत्त के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या–119055 दिनांक–13.03.2024 द्वारा संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत संपरिवर्तित किया गया ।

4. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पीत पत्र संख्या–195 दिनांक–16.10.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में कतिपय आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

5. प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–173058 दिनांक 20.11.2024 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन/अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक 26.11.2024 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया है, जिसमें पूर्व की भांति अपनी बातों को रखा गया है तथा आरोपों से इंकार किया गया है। इस अभिकथन में वही बातें वर्णित हैं जिनपर

विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान जांच प्राधिकार के द्वारा समीक्षा/विवेचना कर ली गई है तथा आरोप को प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार श्री अश्विनी कुमार के द्वारा आरोप के संदर्भ में दिए गए लिखित अभिकथन को अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा स्वीकारणीय नहीं माना गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0), जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी0) के अंतर्गत **"पेंशन से 02 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती"** की शास्ति विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

7. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4585 दिनांक–13.02.2026 द्वारा श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0), जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर आयोग की सहमति संसूचित की गई है।

8. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0), जमुई सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"पेंशन से 02 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की राशि की कटौती"।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह0/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–69/2023 I/368312/ पटना, दिनांक 20/02/2026/

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0), जमुई सम्प्रति सेवानिवृत पताः ग्राम/मोहल्ला–शेखपुरा, डाकघर–बिहार वेटनरी कॉलेज, थाना–हवाई अड्डा, जिला–पटना, राज्य–बिहार पिन कोड–800014, मोबाईल नं0–7870087021 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 20-02-2026 13:34:18